



## अध्याय III उपशमन

### 3.1 उपशमन

सीओएन/सीसीएस की विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार, सेवा प्रदाता को प्रभारित सकल राशि के 67 प्रतिशत के उपशमन तथा शेष पर कर भुगतान करने का विकल्प है, वशर्ते उसने प्रयोज्य सामग्री या पूंजीगत माल या प्रयोज्य सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त न किया हो।

हमने उपशमन का अनियमित लाभ प्राप्त करना देखा, जिसके परिणामस्वरूप 127 मामलों में ₹ 170.44 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। इन मामलों में ₹ 13.53 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 170.34 करोड़ तक की शास्ति भी उदग्राह्य थी। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले उदघृत हैं।

#### 3.1.1 सेनवेट क्रेडिट तथा उपशमन का साथ-साथ लाभ प्राप्त करना

**3.1.1.1** मुम्बई कमिश्नरी के मण्डल I में, मै. डेला टेक्नीका एण्ड इंटीरियर डिजाइनर्स कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने सभी परियोजनाओं के संबंध में मार्च 2006 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार 67 प्रतिशत उपशमन का लाभ प्राप्त किया जबकि वह प्रयोज्य सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट इसके साथ प्राप्त कर रहा था। अधिसूचना के परन्तुक के दृष्टिगत, उपशमन का लाभ निर्धारिती को उपलब्ध नहीं था और ठेकों के सकल मूल्य पर कर देय था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.59 करोड़ तक सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करली और सूचित किया कि ₹ 6.36 करोड़ का एससीएन जारी किया गया था और निर्धारिती ₹ 30.38 लाख के बकाया का भुगतान करने को सहमत हो गया।

**3.1.1.2** इसी प्रकार दिल्ली एसटी कमिश्नरी में, एक मामले में मै. शपूरजी पालोनजी एण्ड कं. लि. ने अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान प्रयोज्य सामग्री पर उपशमन के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ के सेवा कर कम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 45.47 लाख का ब्याज तथा 1.75 करोड़ तक की शास्ति भी उदग्राह्य थे।

जब हमने अगस्त 2008 में इसका उल्लेख किया तब विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2010) निर्धारिती ने बताया कि उन परियोजनाओं में जहाँ उपशमन लिया गया वहाँ सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर देने से पूर्व निर्धारिती के उत्तर का सत्यापन नहीं किया। इस उत्तर का हमारे द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि मामलों, जहाँ उपशमन लिया गया, के परियोजना वार ब्यौरे भेजे नहीं गए थे।

कुछ और मामलों के विवरण नीचे तालिकाबद्ध हैं:-

तालिका सं. 5

(राशि लाख रूपयों में)

क्र सं.	निर्धारित एवं कमिश्नरी का नाम	अवधि जिसके उपशमन लिया गया	जिस से	जिस पर सेनवेट क्रेडिट भी लिया	सेवा कर का कम भुगतान	ब्याज	शास्ति
1.	दिल्ली एसटी में मै. अलस्टोम प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्रा. लि.	04/2006 से 03/2007	से	प्रयोज्य सेवा	329.76	60.73	329.76
2.	दिल्ली एसटी में मै. बीएल कश्यप एण्ड संस	04/2006 से 10/2007	से	प्रयोज्य सेवा	226.10	58.79	226.10
3.	चेन्नई एसटी में मै. लारसन एण्ड टूबो लि. (ईसीसी डिवीजन)	10/2005 से 03/2006	से	प्रयोज्य सेवा	361.70	141.06	361.70
<b>जोड़</b>					<b>866.36</b>	<b>247.29</b>	<b>866.36</b>

क्रम संख्या 1 तथा 2 के मामलों के संबंध में विभाग के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2010)। क्रम संख्या 3 के मामले में बताए जाने पर (मई 2009) विभाग ने उत्तर दिया कि फरवरी 2006 तक निर्धारिती ने अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2004 के अन्तर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया तथा उपयोग किया और शेष सेनवेट क्रेडिट का मार्च 2006 के दौरान उपयोग किया।

विभाग का उत्तर (i) निर्धारिती को उपशमन तभी प्राप्त था यदि प्रयोज्य सामग्री, पूंजीगत माल या प्रयोज्य सेवा पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं लिया गया है (ii) निर्धारिती के पास फरवरी 2006 के अन्त तक अप्रयुक्त/संचित क्रेडिट नहीं था, और (iii) उपशमन अधिसूचना का लाभ लेने की शर्त पूरी नहीं की गई थी, के कारण से स्वीकार्य नहीं था।

**3.1.2 सेवा के सकल मूल्य में शामिल न किया गया माल तथा सामग्री का मूल्य**

जब सेवा कर उपशमित मूल्य पर अदा किया जाता है तब उपशमन की मात्रा प्रभारित सकल राशि पर संगणित की जाती है जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य सेवा देने के लिए आपूर्त या मुहैया या प्रयुक्त माल तथा सामग्री का मूल्य शामिल करना पड़ता है।

**3.1.2.1** जयपुर I कमिश्नरी में मै. बी.पी. कन्स्ट्रक्शन, भिवाड़ी ने विद्युत रोधी तार तथा केबल के विनिर्माण में लगे विनिर्माता मै. जेम्स कैब इण्डस्ट्रियल, भिवाड़ी को सीसीएस सेवाएं प्रदान कीं और ₹ 212.41 लाख के सेवा प्रभारों के उपशमित मूल्य पर ₹ 6.94 लाख के सेवा कर का भुगतान किया। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विनिर्माता द्वारा आपूर्त सामग्री की लागत ₹ 255.03 लाख की राशि सेवा कर प्रभारण के लिए सकल प्राप्ति में शामिल नहीं की गई थी जिसके कारण ₹ 9.90 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। वित्त अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत ₹ 4.28 लाख का ब्याज भी उदग्राह्य था।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2009) विभाग ने ₹ 9.90 लाख के सेवा कर तथा ₹ 3 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की (मार्च 2010)। यह भी सूचित किया गया था कि ₹ 1.28 लाख के बकाया ब्याज की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

**3.1.2.2** कोचीन कमिश्नरी में, सीसीएस, सीओएन तथा डब्ल्यूसीएस के प्रदाता मै. कुण्णेल इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रैक्टर्स, इर्नाकुलम ने उपठेकेदार के रूप में भी सेवाएं प्रदान की थीं। उप ठेकेदार के रूप में, निर्धारिती ने उपशमन प्राप्त किया परन्तु मुख्य ठेकेदार/निर्माणकर्ता द्वारा मुफ्त मुहैया की गई कच्ची सामग्री का मूल्य नहीं जोड़ा। इसके परिणामस्वरूप प्रभारित सकल राशि में कमी हुई और उपशमित मूल्य, जिस पर कर भुगतान किया गया था, में परिणामी कमी हुई। इसलिए निर्धारिती मुफ्त माल के मूल्य को जोड़ने और उपशमन तथा देय कर की पुनः गणना के बाद अतिरिक्त सेवा कर का भुगतान करने का दायी था।

मै. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड. (कोहरा में स्थल कार्यालय) तथा मै. किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, दोनों रायपुर कमिश्नरी में तथा हैदराबाद-II, दिल्ली एसटी और नागपुर कमिश्नरियों में क्रमशः मै. एल एण्ड टी लिमिटेड (इसीसी डिवीजन), मै. बीआर कोहली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लिमिटेड. तथा मै. टोयोटा कनस्ट्रक्शन कम्पनी वालों ने अन्य ऐसे ही मामलों में मुक्त प्राप्त सामग्री का मूल्य जोड़े बिना उपशमन लिया था।

### **3.1.3 सेवा के समापन तथा परिसज्जन पर उपशमन का गलत लिया जाना**

67 प्रतिशत का उपशमन नहीं लिया जा सकता है यदि प्रदान की गई कर योग्य सेवाएं भवन, सिविल ढांचा या आवासीय काम्प्लैक्स के संबंध में समापन तथा परिसज्जन की प्रकृति की हैं।

निम्नलिखित मामले में निर्धारिती ने उपशमन का लाभ प्राप्त किया जो अस्वीकार्य था।

सीसीएस तथा सीओएन प्रदान करने में लगे कोलकाता एसटी कमिश्नरी के डिवीजन-III में मै. निटसन एवं अमित्सू प्रा. लिमिटेड. ने भवन या सिविल ढांचा तथा आवासीय काम्प्लैक्स के समापन तथा परिसज्जन जाब, यथा ग्लेजिंग, मेटल जॉइनरी एवं कारपेंटरी, पेटिंग, बाल कवरिंग आदि प्रदान किए थे। निर्धारिती ने उपशमन का लाभ प्राप्त किया जो अस्वीकार्य था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.98 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। निर्धारिती ₹ 32.75 लाख के ब्याज तथा ₹ 2.98 करोड़ की शास्ति का भुगतान करने का भी दायी था।

इसे दिसम्बर 2008 में बताया गया था, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

अन्य मामले नीचे तालिकाबद्ध हैं जहां समान समापन तथा परिसज्जन सेवाओं पर उपशमन लिया गया था।

तालिका सं. 6

(राशि लाख रूपयों में)

निर्धारिती एवं कमिश्नरी का नाम	अवधि जिसके दौरान उपशमन लिया गया	सेवा कर का कम भुगतान	ब्याज	शास्ति
मुम्बई एसटी में मै. लिकप्रूफ	04/2005 से 03/2008	265.30	34.49	265.30
मुम्बई III में मै. लायड इन्सूलेशन्स इण्डिया लिमिटेड	04/2005 से 03/2008	114.42	14.87	114.42
मुम्बई III में मै. जयन्त फर्निशर्स	04/2005 से 03/2008	88.82	11.55	88.82
कोलकाता एसटी में मै. एलाइन कर्टेन वाल्स प्राइ. लिमि.	04/2005 से 03/2008	151.45	39.80	151.45
दिल्ली एसटी में मै. मिलेनियम कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड.	04/2006 से 03/2008	98.72	12.83	98.72
<b>जोड़</b>		<b>718.71</b>	<b>113.54</b>	<b>718.71</b>

जब हमने इसे बताया तब मै. लिकप्रूफ के मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया कि दोनों निर्धारितियों को एससीएन जारी किए गए थे।

शेष तीन मामलों में विभाग के उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2010)।

**3.1.4 स्थल निर्माण तथा निर्बाधन सेवा पर उपशमन का गलत लिया जाना**

67 प्रतिशत उपशमन केवल सीसीएस तथा सीओएन को लागू है और स्थल निर्माण तथा निर्बाधन, खुदाई तथा मिट्टी हटाने और विध्वंस सेवाओं को नहीं।

**3.1.4.1** चेन्नई (सेवा कर) कमिश्नरी में, मै. इन्कोर आटो टेक इण्डिया (प्रा.) लिमि. ने अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक के दौरान एकमात्र स्थल तैयारी कार्य किया था और सीसीएस के अन्तर्गत कार्य वर्गीकृत किया तथा उपशमन प्राप्त किया जो अस्वीकार्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.69 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

यह आपत्ति मई 2009 में बताई गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

**3.1.4.2** इसी प्रकार चेन्नई कमिश्नरी में, मै. सुब्रह्मण्यन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (प्रा.) लिमि. (बी-डिवीजन) ने भी अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक के दौरान एकमात्र स्थल तैयारी कार्य किया और सीसीएस के अन्तर्गत कार्य वर्गीकृत किया तथा उपशमन प्राप्त किया जो सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.07 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

इसे बताए जाने पर (मई 2009) विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2009) कि निर्धारिती ने चरणों में कार्य किया था। पत्र दिनांक 28 फरवरी 2006 के पैराग्राफ 3.2 में बोर्ड के

स्पष्टीकरण के अनुसार एक संयुक्त सेवा चाहे उसमें एक से अधिक सेवाएं शामिल हो, मुख्य या प्रधान सेवा के आधार पर एकल सेवा के रूप में मानी जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा उल्लिखित स्पष्टीकरण केवल संयुक्त कार्य आदेश को लागू था। वर्तमान मामले में निर्धारिती ने विभिन्न कार्यों के लिए कार्य आदेश प्राप्त किए और उन आदेशों के बीच एक "स्थल निर्माण तथा निर्बाधन" था। इसलिए बोर्ड का स्पष्टीकरण वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता था।

### 3.2 उपशमन योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने की द्विअर्थता

सीओएन/सीसीएस की विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार सेवा प्रदाता को प्रभारित सकल राशि के 67 प्रतिशत के उपशमन तथा शेष पर कर भुगतान करने का विकल्प है बशर्ते उसने प्रयोज्य सामग्री या पूंजीगत माल या प्रयोज्य सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त न किया हो।

चेन्नई एसटी कमिश्नरी में, मै. कंसोलीडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड ने कुछ ठेकों के सकल मूल्य पर कर भुगतान किया और सेनवेट क्रेडिट लिया। अन्य ठेकों के लिए उसने उपशमित मूल्य पर कर भुगतान किया। इन ठेकों के लिए इसने प्रयोज्य सामग्री/प्रयोज्य सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया। तथापि इसने पूंजीगत माल पर ₹ 51.69 लाख का सेनवेट क्रेडिट, जो दोनों प्रकार के ठेकों अर्थात् पूर्ण मूल्य पर प्रदत्त सेवा कर वाले तथा उपशमन योजना के अन्तर्गत ठेके के लिए उपयोग किए गए थे और उपशमन ठेकों में एकमात्र रूप से प्रयुक्त पूंजीगत माल पर ₹ 129.90 लाख का सेनवेट लिया। चूंकि सेनवेट क्रेडिट लिया गया था इसलिए उपशमन का लाभ स्वीकार्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उपशमित मूल्य पर ₹ 55.93 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ। ₹ 13.45 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 55.93 करोड़ की शास्ति भी देय थे।

उत्तर में विभाग ने बताया कि चूंकि निर्धारिती ने ठेकों, जिनमें उन्होंने उपशमन योजना के अन्तर्गत कर भुगतान किया था, के संबंध में न तो सेनवेट क्रेडिट लिया था और न ही उपयोग किया था इसलिए ठेकों, जहाँ उन्होंने पूर्ण दर पर कर भुगतान किया था, के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिया गया क्रेडिट सही था। इसलिए कर की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

विभाग का उत्तर वास्तविक रूप से गलत था क्योंकि निर्धारिती ने स्वयं पत्र दिनांक 21 जून 2007 के माध्यम से विभाग को सूचित किया था कि उन्होंने उपशमन तथा सकल मूल्य ठेकों दोनों के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल पर ₹ 51.69 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया था और एकमात्र रूप से उपशमन ठेकों के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल पर ₹ 129.90 लाख के क्रेडिट का लाभ लिया था।